

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

--:अधिसूचना--:

अधि०सं०-प्र०-०१/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-०९/२०२५

/पटना, दिनांक-

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं०-०२/२०१७ के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-९३४९ दिनांक-२६.१२.२०२५ द्वारा सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर नियुक्ति के उपरान्त विभाग में योगदान करने वाले निम्नांकित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है-

क्र० सं०	संयुक्त मेधा क्रमांक /अनुक्रमांक	नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) का नाम/ जन्म तिथि/गृह जिला	नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
१	५३० २०३३६२	देवेन्द्र कुमार/ ०३.०६.१९८९/ वोकारो(झारखण्ड)	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, गयाजी	

- नवनियुक्त सहायक अभियन्ता को पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ देय होगा ।
- संबंधित कार्यालय प्रधान नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) से प्रभार ग्रहण के समय शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे एवं मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे ।
- प्रथम पदस्थापन होने के कारण प्रभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।
- पूर्ववृत्त सत्यापन(पुलिस भेरिफिकेशन) प्रतिकूल पाये जाने पर अस्थायी नियुक्ति तुरन्त रद्द कर दी जायेगी ।
- मूल प्रमाण-पत्र जाँच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी ।
- संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा नवनियुक्त सहायक अभियन्ता का नई अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत स्थायी लेखा संख्या(PRAN No.) अवश्य रूप से खोल लिया जायेगा ।
- नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) जो वर्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण के समय त्याग-पत्र/विरमन आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (क) नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) अपने पस्थापित स्थान पर अविलम्ब प्रभार ग्रहण करेंगे ।
(ख) पदाधिकारी का जहाँ पदस्थापन किया जा रहा है, उस अंचल के अधीक्षण अभियन्ता पदस्थापित सहायक अभियन्ता को तत्काल प्रभार दिलाना सुनिश्चित करेंगे ।
- यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है तो तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा ।

कृ०पृ०३०

11. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सुशांत कुमार)

सरकार के अपर सचिव

लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनु0-यथोक्त ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वे0वा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-

/पटना, दिनांक-

ई-मेल

प्रतिलिपि- अभियन्ता प्रमुख/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता/सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/श्री देवेन्द्र कुमार, नवनियुक्त सहायक अभियन्ता, स्थायी पता- पिता- स्व0 लखन लाल वर्णवाल मकान सं0-745, जरीडीह बाजार, बेरमो, थाना-गाँधी नगर, जिला-बोकारो, राज्य-झारखण्ड, पिन कोड-829114(e-mail ID- devendrak696@gmail.com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-

2580

/पटना, दिनांक-

17/04/26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रभारी, नलकूप कोषांग/आई0 टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 कोषांग को निदेश है कि अधिसूचना की सी0डी0 तैयार कर निर्गत शाखा को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

सरकार के अपर सचिव ।